[2019] 10 एस. सी. आर 88

नरशभाई भागूभाई और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2019 की सिविल अपील संख्या 6270)

13 अगस्त, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

रेलवे अधिनियम, 1989: एसएस। 20 डी-आपत्तियों की सुनवाई-एस का गैर-अनुपालन। 20 डी (2)-का प्रभाव-131 किलोमीटर का अधिग्रहण

एक विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता की 6 किलोमीटर भूमि सहित भूमि-जिला सूरत में पश्चिमी समर्पित माल गलियारा-अपीलकर्ता की याचिका-भूमि मालिकों को कि उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। 20 डी (2)-अपीलार्थी ने यू/एस द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की। 20 ए और घोषणा जारी की गई यू/एस। 20 ई-पद से बर्खास्तगी

उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: भूमि-स्वामी/इच्छुक व्यक्ति को आपत्तियाँ दायर करने का सीमित अधिकार दिया जाता है, और उस पर व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जाती है। s.20D को एक खाली औपचारिकता, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल एक आंख धोने तक कम नहीं किया जा सकता है -

कार्यवाही के किसी भी चरण में अपीलार्थियों को नोट करने वाली फाइल की सामग्री के बारे में सूचित नहीं किया उक्त फाइल रिकॉर्डिंग को नोट करती है आपत्तियों को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना कि मामला

सार्वजनिक उपयोगिता के लिए एक बुनियादी ढांचा परियोजना से संबंधित, तब सामने आया जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, और मूल फाइलों को तलब किया गया था-किसी भी स्थिति में, यू/एस आदेश। 20 डी (2) व्यक्तिगत सुनवाई से पहले पारित नहीं किया जा सकता है-एक के अभाव में

आदेश यू/एस पारित किया। 20 डी (2) में उठाए गए बाद के कदम

88 नरशभाई भागूभाई बनाम। भारत का संघ

अधिग्रहण अमान्य हो जाएगा-हालांकि, अधिग्रहण पर 125 किलोमीटर की भूमि का शेष हिस्सा सरकार के पास है और निर्माण पूर्व गतिविधि और भू-कार्य इस खंड के अधिकांश हिस्सों में पूरा कर लिया गया है-एक ओर अपीलार्थियों के अधिकार और दूसरी ओर बड़े सार्वजनिक उद्देश्य को संतुलित करने के लिए, अपीलार्थियों को भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 यह बहुत स्पष्ट है कि धारा 20 डी द्वारा विचार किए गए आदेश के पारित होने के अभाव में

रेलवे अधिनियम, विचाराधीन अधिग्रहण में सक्षम प्राधिकरण द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। धारा 20 डी एक अनिवार्य प्रावधान है जो एक ठोस और मूल्यवान प्रावधान प्रदान करता है।

भूमि-मालिकों पर अधिकार, प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति करने के लिए, इससे पहले कि वे एक अनुचित कानून द्वारा भूमि में अपने अधिकार, स्वामित्व और हित को जबरन छीन लें। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 डी के तहत आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए के समान है, भले ही आपत्तियों का दायरा अधिक सीमित हो। द.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत आपत्ति करने के अधिकार की प्रकृति पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय रेलवे अधिनियम पर समान रूप से लागू होते हैं। धारा 20 डी की उप-धारा (2) सक्षम प्राधिकारी को आक्षेपकर्ताओं को एक अवसर देने का आदेश देती है -

सुनवाई, या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से। द.

अनिवार्य अधिग्रहण, उसे सरकार के निर्णय का विरोध करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए; और यह कि सुनवाई किसी व्यक्ति को दिया जाना एक प्रभावी होना चाहिए, न कि केवल औपचारिकता। सार्वजनिक उद्देश्य के संबंध में राय का गठन,

साथ ही इसकी उपयुक्तता, प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए मन के प्रयोग से पहले होनी चाहिए।

[2019

] 10 एस. सी. आर. की धारा 5-ए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.2 भूमि-स्वामी/इच्छुक व्यक्ति को आपत्तियाँ दायर करने और धारा 20 डी के तहत व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिए गए सीमित अधिकार को एक खाली औपचारिकता, या केवल एक सीमित अधिकार तक सीमित नहीं किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आँख धोना। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध था

अपीलार्थी, और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करें, जो प्रतिबिंबित होना चाहिए

भूमि-मालिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान देना। तत्काल मामले में, अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्तव्य में पूरी तरह से लापरवाही की गई है। अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून की दृष्टि में विचार किया गया कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। एक अर्ध-न्यायिक कार्य का निर्वहन करने वाले एक सांविधिक प्राधिकरण को एक तर्कपूर्ण पारित करने की आवश्यकता होती है

दिमाग के उचित अनुप्रयोग के बाद आदेश दें। [पैरा 11.1,11.2] [112-डी-एच] 1.3 एक वैध आदेश एक तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए, जिसे पक्षों को विधिवत सूचित किया जाता है। फाइल में नोट किया गया है

आंतरिक कार्यालय फाइल, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में, कानून की नजर में एक वैध आदेश नहीं होगा। तत्काल मामले में, 30.07.2011 पर व्यक्तिगत सुनवाई समाप्त होने के बाद, आपत्तियों को खारिज करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने फाइल की सामग्री के बारे में सूचित नहीं किया

फाइलों का अवलोकन, केवल इस आधार पर आपत्तियों की अस्वीकृति को दर्ज करते हुए फाइल में आया कि मामला किससे संबंधित था सार्वजनिक उपयोगिता के लिए एक बुनियादी ढांचा परियोजना। [पैरा 11.3] [119-ए-एच]

1.4 प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि कानून का अधिदेश यह है कि आपत्तियों पर आदेश द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है सक्षम प्राधिकारी को "व्यक्तिगत सुनवाई के बाद" अनुमति दी जाती है। प्रत्यर्थियों ने NARESHBHAI BHAGUBHAI v से पहले 17.07.2018 दिनांकित एक शपथ पत्र दायर किया था।

भारत का संघ

उच्च न्यायालय जिसमें यह कहा गया था कि दिया गया जवाब 15.07.2011 दिनांकित पत्र सक्षम प्राधिकारी के निर्णय/आदेश/पूर्व निर्धारण का संकेत नहीं देता है। द काबिल

प्राधिकरण ने विरोध करने वालों को व्यक्तिगत सुनवाई के समय सभी सामग्री दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने के लिए सूचित किया था, जिसकी तारीख बाद में अधिसूचित की जाएगी। भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि 15.07.2011 दिनांकित पत्र अधिनियम की धारा 20D (2) के तहत पारित एक आदेश था। उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा लिया गया रुख पूरी तरह से विरोधाभासी है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 11.4] [120-जी-एच; 121-ए-सी]

1.5 किसी भी स्थिति में, धारा 20 डी (2) के तहत आदेश व्यक्तिगत सुनवाई से पहले पारित नहीं किया जा सकता है। कानून का आदेश है कि आदेश व्यक्तिगत अनुदान के "बाद" पारित किया जाना चाहिए

सुनवाई, और किसी भी आगे की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है। यदि आपत्तियों पर आदेश व्यक्तिगत सुनवाई के अनुदान से पहले दिया जाता है, तो व्यक्तिगत सुनवाई देने की पूरी प्रक्रिया को एक खाली औपचारिकता और एक प्रहसन अभ्यास में बदल दिया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 20 डी (2) के प्रावधानों के विपरीत होगा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक क़ानून किसी विशेष तरीके से किसी काम को करने का प्रावधान करता है, तो उसे उस तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। एक के प्रावधान

उसकी सहमति के बिना संपत्ति के उसके अधिकार का, होना चाहिए सख्ती से समझाया गया। रेलवे अधिनियम, 1989 एक अनुचित कानून होने के कारण इसके प्रावधानों का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए। [पैरा 11.5] [121-डी-जी; 122-ए]

1.6 सक्षम प्राधिकारी का अर्ध-न्यायिक होना

प्राधिकरण, कानून द्वारा अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है। भूमि-स्वामी के लिए यह एकमात्र अवसर उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आगे कोई विचार नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार सक्षम व्यक्ति की रिपोर्ट पर कार्य करती है। प्राधिकरण, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई के तहत घोषणा जारी करता है। यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के विपरीत है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 में घोषणा जारी होने से पहले केंद्र सरकार की संतुष्टि की आवश्यकता होती है। आदेश के अभाव में यू/एस [2019] 10 एस. सी. आर. पारित किया गया।

20 घ (2), अधिग्रहण में उठाए गए बाद के कदम परिणामस्वरूप अमान्य हो जाएंगे। [पैरा 11.6,11.7] [122-ए-डी] 1.7 इस न्यायालय के समक्ष चुनौती अपीलार्थियों द्वारा भूमि के एक बड़े हिस्से के संबंध में दी गई है।

131 किलोमीटर के कुल खंड में से लगभग 6 किलोमीटर। द.

125 किलोमीटर भूमि के शेष हिस्से का अधिग्रहण कर लिया गया है और यह सरकार के पास निहित है। उत्तरदाताओं ने हलफनामे पर कहा है कि खंड के अधिकांश हिस्सों में निर्माण पूर्व गतिविधि और मिट्टी का काम पूरा हो चुका है।

इसके अलावा, अधिकांश पुल या तो प्रगति पर हैं, या पहले ही पूरे हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि तब से

भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान दर। मान लीजिए, अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया है। यदि धारा 20 ए के तहत अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है तो रेलवे परियोजना का व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अधिग्रहण का सार्वजनिक उद्देश्य है - एक विशेष रेलवे परियोजना का निर्माण और संचालन। गुजरात के सूरत जिले में पश्चिमी समर्पित माल गलियारा। इन असाधारण परिस्थितियों में, एक ओर अपीलार्थियों के अधिकार और दूसरी ओर बड़े सार्वजनिक उद्देश्य को संतुलित करने के लिए, अपीलार्थियों को क्षतिपूर्ति करके उचित माना जाता है।

उन्हें अधिकार से वंचित कर दिया गया है। न्याय के हित इस कार्रवाई को अपनाने के लिए राजी करते हैं। तत्काल मामले में, भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 20 जी के तहत मूल्यांकन किए जाने वाले अपीलार्थियों को मुआवजा देकर राहत को ढाला जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी को भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजे की राशि की गणना करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है:

अधिनियम की धारा 20 जी (2) का संदर्भ। [पैरा 12] [122-ई-एच]

इस अदालत का रुख नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, इस निष्कर्ष के बावजूद कि उत्तरदाताओं ने अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है, यह अलग रखने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है सम्पूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया। [पैरा 13] [124-बी-सी] नरशभाई भागूभाई बनाम।

भारत संघ बनाम। शिवराज (2014) 6 एससीसी 564: [2014]

8 एस. सी. आर. 751; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. डेरियस शापुर चेनाई (2005) 7 एस. सी. सी. 627: [2005] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 388; ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 6 एस. सी. सी

1 : [1998] 3 एस. सी. आर. 643; लक्ष्मी देवी बनाम। बिहार राज्य

(2015) 10 एससीसी 241: [2015] 11 एस. सी. आर. 17; रघबीर

सिंह सहरावत बनाम। हरियाणा राज्य (2012) 1 एस. सी. सी. 792

: [2011] 14 एस. सी. आर. 1113; उषा स्टड और कृषि फार्म

(पी) लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य (2013) 4 एससीसी 210: [2013]

5 एससीआर 645; क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम। मसूद

अहमद खान (2010) 9 एससीसी 496: [2010] 10 एससीआर 1070

; बचित्तर सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर 1963 एस. सी. 395

: [1962] पूरक। एस. सी. आर. 713; शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम। संघ

भारत (2009) 15 एस. सी. सी. 705: [2009] 13 एससीआर 710;

सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम। डीडीए (2009) 1 एससीसी 180:

[2008] 14 एससीआर 598; राव शिव बहादुर सिंह बनाम। राज्य

विंध्य प्रदेश ए. आई. आर 1954 एस. सी. 322: [1954]

एससीआर 1038; यू. पी. राज्य बनाम सिंघारा सिंह ए. आई. आर 1964

एससी 358 [1964] एससीआर 485; जे एंड के हाउसिंग बोर्ड बनाम। कुंवर संजय कृष्ण कौल (2011) 10 एस. सी. सी. 714:

[2011] 14 एससीआर 976; कुंवर पाल सिंह बनाम। यू. पी. राज्य

(2007) 5 एससीसी 85: [2007] 4 एससीआर 409; जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम। गुजरात राज्य (1995) पूरक (1)

एस. सी. सी. 596 [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 807; खुब चंद

वी. राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1074: [1967] एससीआर

120 ; सी. सी. ई बनाम ओरिएंट फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड (2004) 1 एससीसी

597 : [2003] 6 पूरक। एससीआर 243; इंदौर विकास

प्रधानन बनाम। प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड

(2007) 8 एससीसी 705: [2007] 6 एससीआर 799; सावित्री देवी बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। (2015) 7 एससीसी 21 [2015]

7 एस. सी. आर. 512 संदर्भित है।

नजीर अहमद बनाम। राजा सम्राट (1875) एल. आर. 1 सीएच. डी. 426

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

4] 8 एससीआर 751

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

5] 3 पूरक। एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

[1998] 3 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2015] 11 एस. सी. आर. 17

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.2

[2011] 14 एससीआर 1113

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.2

[2013] 5 एससीआर 645

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.2

[2010] 10 एससीआर 1070

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.2

[1962] पूरक। एससीआर 713

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.3

[2009] 13 एससीआर 710

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.3

[2008] 14 एससीआर 598

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.3

[1954] एससीआर 1038

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.5

[1964] एससीआर 485

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.5

[2011] 14 एससीआर 976

पै

रा 11.5

संदर्भित किया गया है

[2007] 4 एससीआर 409

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.5

[1994] 1 पूरक। एससीआर 807

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.5

[1967] एससीआर 120

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.5

[2003] 6 पूरक। एससीआर 243

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11.5

[2007] 6 एससीआर 799

पै

रा 11.5

संदर्भित किया गया है

[2015] 7 एससीआर 512

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 6270

6273 2019 से।

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 25.07.2018 निर्णय और आदेश से

विशेष अवकाश आवेदन संख्या में गुजरात का। 19409/2015 , 12711/2016 14000/2016 और 14001/2016।

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. जी. शर्मा, गालव सी. शर्मा, सुश्री

रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, अर्जुन सिंह, नचिकेत जोशी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

संजय जैन, एएसजी, दुर्गा दत्त, सुश्री रेखा पांडे, अरुण कुमा

यादव, राज बहादुर यादव, सुश्री कुमुद लता दास, सुश्री इंदु कौल, राव अग्रवाल, ए. पी. मयी, ए. राजाराजन, संजीव के. चौधरी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

नरशभाई भागूभाई बनाम। भारत का संघ

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था इंदु मल्होत्रा, जे. लीव मंजूर।

1. वर्तमान सिविल अपीलों को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित 25.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा विशेष नागरिक आवेदन संख्या। 19409 2015 का 1271116 , 14000 2016 की और 2016 की 14001 को खारिज कर दिया गया है।

2. चूँकि सभी 4 दीवानी अपीलों में एक सामान्य मुद्दा उत्पन्न होता है, वे हैं -

वर्तमान सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया गया।

3. तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिसमें वर्तमान दीवानी अपीलें हैं

दाखिल किया गया निम्नानुसार है:

3.1 .

आई. डी. 1 पर, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए गुजरात के सूरत जिले में स्थित 18 गाँवों में निर्दिष्ट भूमि अधिग्रहण करने के अपने इरादे को अधिसूचित किया गया था।

पश्चिमी समर्पित माल गलियारे का निर्माण। अधिग्रहण के तहत कुल भूमि एक खंड थी 131 कि. मी.।

अपीलार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि, जिसमें -

अधिसूचना के तहत लगभग 6 किलोमीटर को शामिल किया गया था।

अपीलकर्ताओं ने अन्य भूमि-मालिकों के साथ लिखित रूप से दायर किया

3.2 .

सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सूरत के समक्ष अधिनियम की धारा 20डी (1) के तहत 06.04.2011 और 07.04.2011 के बीच आपत्तियां [इसके बाद "सक्षम प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित],

सूरत प्रस्तावित अधिग्रहण को चुनौती देगा।

सक्षम प्राधिकारी ने दिनांकित 15.07.2011 पत्र के माध्यम से,

3.3 .

भूमि-मालिकों को सूचित किया कि अधिग्रहण एक आवश्यक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था अर्थात भूमि के विकास के लिए। पश्चिमी समर्पित माल गलियारा। यह कहा गया था कि रेलवे की धारा 20 एफ और 20 जी के अनुसार सभी प्रभावित भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा।

अधिनियम, 1989।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

भूमि मालिकों को व्यक्तिगत सुनवाई के समय आवश्यक सबूतों के साथ उपस्थित रहने के लिए कहा गया था।

जिसकी तिथि उन्हें सूचित की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी ने दिनांकित 19.07.2011 पत्र के माध्यम से भूमि-मालिकों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया

30.07.2011 पर आपत्तियों पर।

भूमि-स्वामी सक्षम के समक्ष उपस्थित हुए

रेल मंत्रालय ने रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ई (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में 59 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिन पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। 06.02.2013 और 07.02.2013 पर, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20F के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा पुरस्कार पारित किए गए थे।

आई. डी. 1 पर जमीन के मालिक श्री घनश्यामसिंह गंभीरसिंह वाशी ने आर. टी. आई. आवेदन दायर किया।

अपीलकर्ताओं ने यहां विशेष सिविल आवेदन संख्या दायर करके अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी। 19409 गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 का, 2016 का 12711,2016 का 14000 और 2016 का 14001। अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई चुनौती का प्रमुख आधार यह था कि उक्त अधिनियम की धारा 20 डी (2) के अनुसार आपत्तियों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

एस. एच. बी. एच. ए. आई. भागूभाई बनाम। भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

अपीलकर्ताओं ने 08.02.2011 पर धारा 20A के तहत जारी अधिसूचना और धारा 20E के तहत जारी घोषणा को रद्द करने और अलग करने का अनुरोध किया।

06.02.2012 .

कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.07.2018 के अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि

उत्तरदाता विशिष्ट विवरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल करेंगे

30.07.2011 पर व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आपत्तियों के निपटारे से संबंधित।

मुख्य परियोजना प्रबंधक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांकित शपथ पत्र दाखिल किया

17.07.2018 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों की ओर से, जिसमें यह कहा गया था कि:

" 4. मैं कहता हूं कि दिनांकित 15/7/2011 पत्र के माध्यम से दिया गया स्पष्टीकरण/जवाब इंगित नहीं करता है सक्षम प्राधिकारी का निर्णय /आदेश/पूर्वनिर्धारण। सक्षम प्राधिकरण ने केवल रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अधिग्रहण और प्रावधान के उद्देश्य को स्पष्ट किया है जिस पर मुआवजा देते समय विचार किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, दिनांकित 15/7/2011 के उक्त पत्र में, सक्षम

प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से आपत्तिकर्ता को एक तारीख पर सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने के लिए सूचित किया है जिसे बाद में सूचित किया जाना था।

8. मैं कहता हूँ कि सक्षम प्राधिकारी, इसके बाद

अधिग्रहण ने 28/11/2011 को दो आदेश पारित किए हैं और सभी आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया है जनहित में विरोध करने वालों द्वारा उठाया गया। यहाँ संलग्न किया गया है और अनुलग्नक VI कोली के रूप में चिह्नित किया गया है। 28/11/2011 दिनांकित आदेशों की प्रतियाँ हैं और साथ ही

3/1/2012 . "

उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय और दिनांक 25.07.2018 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा दायर विशेष सिविल आवेदनों को खारिज कर दिया।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

यह देखते हुए कि निर्णय स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण था, अदालतें ऐसे जटिल विषयों के बारे में अपनी समझ को सरकार के स्थान पर रखने का प्रयास नहीं करेंगी। अपीलार्थी समर्थन के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे उनकी आपत्ति कि प्रस्तावित रेलवे लाइन उचित नहीं थी।

तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 20 डी

अधिग्रहण के तहत भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को आपत्तियां उठाने और ऐसी आपत्तियों पर सुनवाई करने का मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है। एक व्यक्ति द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ

सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के बाद इच्छुक व्यक्ति पर विचार किया जाना चाहिए और उसका निपटारा किया जाना चाहिए। यदि इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, तो केंद्र सरकार के लिए अधिनियम की धारा 20 ई (1) के तहत घोषणा जारी करने के लिए आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने पूरे मामले से निपटने के तरीके के बारे में अपनी चिंता दर्ज की

उत्तरदाता। भूमि-मालिकों को सूचित किया गया कि उनके

व्यक्तिगत सुनवाई होने से पहले भी आपत्तियाँ मान्य नहीं थीं।

30.07.2011 पर व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने कार्यालय की फाइल पर आपत्तियों का निपटारा किया, लेकिन कभी भी विरोध करने वालों को निर्णय से अवगत नहीं कराया। सक्षम प्राधिकारी ने धारा 20 ई के तहत जारी की जा रही घोषणा से पहले आपत्तियों के निपटारे के महत्वपूर्ण चरण को पूरा नहीं किया था। यह भी देखा गया कि सक्षम प्राधिकारी ने भूमि मालिकों द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन का पूरी तरह से गलत जवाब दिया। यह पूरी तरह से लापरवाही का कार्य था जिसके गंभीर परिणाम थे।

एस. एच. बी. एच. ए. आई. भागूभाई वी. भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

सक्षम प्राधिकारी ने दिनांकित रिपोर्ट के माध्यम से

03.01.2012 , मुख्य परियोजना प्रबंधक को सूचित किया,

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियां थीं

विस्तार से सुना, और मौखिक रूप से जवाब दिया।

विशेष सिविल आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, और सक्षम प्राधिकरण को रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। 50,000 / - प्रत्येक विशेष नागरिक में

आवेदन।

उपरोक्त निर्णय से व्यथित, अपीलार्थी -

भूमि-मालिकों ने वर्तमान दीवानी अपील दायर की।

पक्षकारों के लिए विद्वान वकील को सुना है, और पक्षकारों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों पर विचार किया है।अन्य बातों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम ने कहा कि:

अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निर्णय अधिनियम की धारा 20 डी (2) के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था। इसका पालन न करने से

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर आर. टी. आई. आवेदन पर दिया गया जवाब दिनांक 05.09.2013 है। भूमि-मालिकों द्वारा, स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि उत्तरदाताओं की ओर से कोई समझदारी नहीं थी। उक्त उत्तर में बस इतना कहा गया था कि भूमि-मालिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निपटारे के आदेश के बारे में उन्हें पहले ही 15.07.2011 पर सूचित कर दिया गया था।

दिनांकित 15.07.2011 पत्र को अधिनियम की धारा 20D (2) द्वारा अनुध्यात आदेश नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत सुनवाई से पहले जारी किया गया था।

30.07.2011 पर हुआ, और अंतिम आपत्तियाँ दाखिल की गईं

31.07.2011 पर।

15.07.2011 दिनांकित पत्र एक आदेश नहीं था, बल्कि केवल

अपीलार्थियों को एक समय और तिथि पर आवश्यक प्रमाणों और दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश बाद में सूचित किया जाएगा।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही भूमि-मालिकों को व्यक्तिगत सुनवाई दी गई थी, लेकिन नियमों के अनुसार आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

अधिनियम की धारा 20 डी (2) का अधिदेश। 28.11.2011 और 03.01.2012 दिनांकित आदेशों को भूमि-मालिकों को सूचित नहीं किया गया था। वे केवल सक्षम की आंतरिक फाइलों पर बनाए गए संकेत थे।

प्राधिकरण।

एक समर्थन या फाइल नोटिंग के माध्यम से आपत्तियों की अस्वीकृति कानून की नजर में एक आदेश का गठन नहीं करेगी। एक सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पारित एक आदेश ठोस कारणों से समर्थित एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए, जिसे विरोध करने वालों को सूचित करने की आवश्यकता होती है।

अंजय जैन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया कि:

वर्तमान मामले में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अध्याय IV ए के अनुपालन में की गई है।

रेलवे अधिनियम, 1989।

रेलवे अधिनियम, 1989 का अध्याय IV ए एक स्व-निहित कोड है। न्यायालय को रेलवे अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का सहारा नहीं लेना चाहिए या उसकी सहायता नहीं लेनी चाहिए, विशेष रूप से जब से धारा

अधिनियम की धारा 20 डी (2) के तहत आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया दो गुना है। सबसे पहले, सक्षम प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दायर करने की अनुमति देता है। धारा 20 ए के तहत अधिसूचना का प्रकाशन

केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण के अपने इरादे को अधिसूचित कर रही है।

इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी के पास आगे की सुनवाई करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई बुलाने का विवेकाधिकार है।

यदि आवश्यक समझा जाए तो जाँच करें।

वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां 06.04.2011 पर लिखित रूप में प्राप्त की गई थीं। सक्षम प्राधिकारी उक्त नरशभाई भागूभाई बनाम पर विचार करने के बाद।

भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

आपत्तियाँ, 15.07.2011 पर एक आदेश पारित किया गया जिसे प्रत्येक अपीलार्थी को सूचित किया गया था। इसके बाद, 30.07.2011 पर व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई, जो थी

आगे की जांच की प्रकृति में।

30.07.2011 पर व्यक्तिगत सुनवाई में अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ लगभग 06.04.2011 पर पहले उठाई गई आपत्तियों के समान थीं। अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को प्रभावी ढंग से 15.07.2011 दिनांकित पत्र के माध्यम से निपटाया गया था, जिसे प्रत्येक को सूचित किया गया था।

अपीलार्थी।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि किसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी

6.5 .

दिनांक 30.07.2011 की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद पारित किया जाए, क्योंकि कोई नई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं आई है।

7. जिन मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैं:

क्या धारा 20 डी (2) के प्रावधान नहीं किए गए हैं

(i)

वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन किया गया

मामला? यदि ऐसा है, तो गैर के परिणाम क्या होंगे

(ख)

अधिग्रहण कार्यवाही और अपीलार्थियों के अधिकारों के संबंध में धारा 20 डी (2) का अनुपालन?

8. प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान वर्तमान में अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निर्धारण करना।

रेलवे अधिनियम, 1989 के वैधानिक प्रावधान

2008 में कटौती पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

विशेष भूमि अधिग्रहण के लिए वैधानिक प्रावधान

जिस तरह से परियोजना रेलवे अधिनियम के अध्याय IV ए में निहित है,. अध्याय IV ए अधिग्रहण के लिए एक पूर्ण स्व-निहित कोड है।

डी।

अध्याय IV ए को 2008 के संशोधन अधिनियम 11 के माध्यम से शामिल किया गया था।

रेलवे के उद्देश्यों और कारणों के विवरण (संशोधन) 2008 में कहा गया है कि:

" 2. भूमि अधिग्रहण के प्रावधान करने की आवश्यकता है

केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए रेलवे अधिनियम, 1989 त्वरित मार्ग पर भूमि अधिग्रहण के लिए रेल मंत्रालय में

भूमि की तर्ज पर विशेष रेलवे परियोजनाओं के लिए आधार [2019] 10 एस. सी. आर.

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में उपलब्ध अधिग्रहण प्रावधान,

1956. "

अध्याय 4 ए में संशोधित अधिनियम की धारा 20 ए से 20 पी शामिल हैं अध्याय 4 ए के तहत प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं।

ईदी संदर्भ:

" 20ए. भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति, आदि।

(1) जहां केंद्र सरकार संतुष्ट है कि जनता के लिए

किसी विशेष कार्य के निष्पादन के लिए किसी भी भूमि की आवश्यकता होती है।

रेलवे परियोजना अधिसूचना द्वारा अपने इरादे की घोषणा कर सकती है।

ऐसी भूमि का अधिग्रहण करना। (2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अधिसूचना में भूमि और विशेष रेल परियोजना का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

जिसका भूमि अधिग्रहण करने का इरादा है।

(3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

भूमि अभिलेखों का विवरण सक्षम प्राधिकारी को, जब भी आवश्यकता हो।

20डी. आपत्तियों आदि की सुनवाई। (1) भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, एक अवधि के भीतर,

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आपत्ति इस प्रकार की जाएगी - सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में, और उसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को देगा

व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और

ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा या तो अनुमति दें या अनुमति न दें।

आपत्तियाँ।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "कानूनी व्यवसायी" का वही अर्थ है जो उप-नरशभाई भागूभाई v के खंड (1) में है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की धारा (1)। (3) उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

20 ई. अधिग्रहण की घोषणा

(1) जहां धारा 20 डी की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी को उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं की गई है या जहां सक्षम प्राधिकारी ने उस धारा की उप-धारा (2) के तहत आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया है, तो सक्षम प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, केंद्र सरकार को तदनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी कि इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

धारा 20 क की उप-धारा (1) में उल्लिखित।

(2) उप-धारा (1) के तहत घोषणा के प्रकाशन पर, भूमि पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित होगी जो सभी बाधाओं से मुक्त होगी।

(3) जहां किसी भूमि के संबंध में, उसके लिए धारा 20 ए की उप-धारा (1) के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

अधिग्रहण, लेकिन इस धारा की उप-धारा (1) के तहत कोई घोषणा एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं की गई है।

उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख, उक्त अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं रहेगा:

बशर्ते कि एक वर्ष की उक्त अवधि की गणना में,

वह अवधि जिसके दौरान उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में कोई कार्रवाई या कार्यवाही की जानी है।

20 जी बाजार के निर्धारण के लिए मानदंड-भूमि का मूल्य (1) सक्षम प्राधिकारी बाजार के मूल्यांकन और निर्धारण में निम्नलिखित मानदंडों को अपनाएगा-भूमि का मूल्य, [2019] 10 एस. सी. आर.

(i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) में निर्दिष्ट न्यूनतम भूमि मूल्य, यदि कोई हो, उस क्षेत्र में बिक्री विलेखों के पंजीकरण के लिए, जहां भूमि स्थित है; या

((ii) समान प्रकार की भूमि के लिए बिक्री मूल्य का औसत

गाँव या आसपास के क्षेत्र में, पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत बिक्री विलेखों के कम से कम पचास प्रतिशत से पता लगाया जाता है, जहां अधिक मूल्य का भुगतान किया गया है, जो भी अधिक हो।

(2) जहाँ उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

इस कारण से कि:

उस क्षेत्र में लागू होना; या ((ii) उप-धारा (1) के खंड (i) में उल्लिखित समान भूमि के लिए पंजीकृत बिक्री विलेख पूर्ववर्ती के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

तीन वर्ष; या

(iii) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के तहत न्यूनतम भूमि मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार में स्थित समान प्रकार की भूमि के लिए भुगतान की गई औसत उच्च कीमतों के आधार पर उक्त भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य निर्दिष्ट करेगी।

आस-पास के क्षेत्र या आसपास, कम से कम से पता लगाया गया

पचास प्रतिशत, पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत बिक्री विलेखों में से जहां अधिक मूल्य का भुगतान किया गया है, और

सक्षम प्राधिकारी भूमि के मूल्य की गणना कर सकते हैं।

तदनुसार।

इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जा रही भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करना, (क) ऐसी भूमि की इच्छित भूमि उपयोग श्रेणी का पता लगाना; और

(बी) बाजार के निर्धारण के उद्देश्य से आसपास के क्षेत्रों या आसपास के क्षेत्र में इच्छित श्रेणी की भूमि के मूल्य को ध्यान में रखें-भूमि का मूल्य

अर्जित किया।

(4) अधिग्रहित की जाने वाली इमारत और अन्य अचल संपत्ति या भूमि या इमारत से जुड़ी संपत्तियों का बाजार मूल्य निर्धारित करने में, सक्षम प्राधिकारी इसका उपयोग कर सकता है। संबंधित क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं, जो उनके द्वारा आवश्यक मानी जाएं।

सक्षम प्राधिकारी।

बागवानी, रेशम उत्पादन, या कोई अन्य क्षेत्र, जिसे वह आवश्यक समझता है। (6) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का आकलन करने के उद्देश्य से

कार्यवाहियों में, सक्षम प्राधिकारी कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है क्योंकि वह

आवश्यक समझते हैं।

201. अधिकार लेने की शक्ति

(1) जहां धारा 20ई की उप-धारा (2) के तहत कोई भूमि केंद्र सरकार में निहित है, और केंद्र सरकार द्वारा ऐसे प्राधिकरण के संबंध में धारा 20एफ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि, सक्षम प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा मालिक के साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसी भूमि के कब्जे में हो सकता है, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को नोटिस की सेवा के साठ दिनों की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने या उसका कब्जा देने का निर्देश दे सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है

उप-धारा (1) के तहत बनाया गया, सक्षम प्राधिकारी

आवेदन करें

(क) महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी भी क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि के मामले में, पुलिस आयुक्त को;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि के मामले में, किसी जिले के कलेक्टर को, [2019] 10 एस. सी. आर.

और ऐसा आयुक्त या कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, भूमि के समर्पण को सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति को लागू करेगा।

20 जे. ऐसी भूमि में प्रवेश करने का अधिकार जहां भूमि केंद्र सरकार के पास निहित है

जहां भूमि धारा 20 ई के तहत केंद्र सरकार में निहित है, वहां इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष रेलवे परियोजना या उसके हिस्से के भवन, रखरखाव, प्रबंधन या संचालन के लिए भूमि में प्रवेश करना और आवश्यक अन्य कार्य करना या उससे जुड़ा कोई अन्य कार्य नहीं करना विधिसम्मत होगा।

20 एन. 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1 लागू नहीं होगा

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में कुछ भी इस अधिनियम के तहत अधिग्रहण पर लागू नहीं होगा।

9. अध्याय IV क की योजना इस प्रकार है:

(i)

केंद्र सरकार को धारा के तहत अधिकार प्राप्त है

20 ए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के लिए, इसकी अधिसूचना जारी करने के लिए

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने का इरादा एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए।

धारा 20 डी में आपत्तियां दर्ज करने और अनुदान देने का प्रावधान है।

(ख)

व्यक्तिगत सुनवाई। यह प्रावधान दो भागों में है:

अ)

उप-धारा (1) में कहा गया है कि भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति 30 दिनों की अवधि के भीतर

धारा 20 ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख, के लिए आपत्तियां दर्ज करें

उल्लिखित उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण

उस उप-खंड में।

ख)

धारा 20 डी की उप-धारा (2) के तहत,

कानून का अधिदेश यह है कि:

प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी को ऑब्जेक्टर को सुनवाई का अवसर देने के लिए अनिवार्य किया गया है, या तो

व्यक्ति या कानूनी व्यवसायी द्वारा; एस. एच. बी. एच. ए. आई. भागूभाई बनाम।

भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

कि सभी आपत्तियों को "सुनने के बाद" और ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के बाद, सक्षम

प्राधिकरण या तो अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है

एक आदेश द्वारा आपत्तियाँ।

धारा 20 डी की उप-धारा (3) में कहा गया है कि

(ग)

धारा 20 डी (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

धारा 20 ई की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि यदि नहीं

आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, या यदि आपत्तियाँ हैं

अनुमति न दिए जाने पर सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी कि भूमि का अधिग्रहण धारा 20 ए की उप-धारा (1) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।

धारा 20 ई (1) के तहत घोषणा के प्रकाशन पर, भूमि पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित होगी जो सभी बाधाओं से मुक्त होगी।

धारा 20 ई की उप-धारा (3) में कहा गया है कि यदि -

घोषणा एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं की जाती है।

धारा 20 ई की उप-धारा (4) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा पर किसी भी अदालत या किसी प्राधिकरण द्वारा सवाल नहीं उठाया जाएगा। उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि भूमि-मालिक या इच्छुक व्यक्ति

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 डी के तहत आपत्तियां दर्ज करने का सीमित अधिकार दिया गया। आपत्तियों का दायरा उस उद्देश्य तक सीमित है जिसके लिए अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत आपत्तियां दर्ज करना सामान्य अधिकार नहीं है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून ने एक सख्त प्रक्रिया को अनिवार्य किया है

9.2 .

के संबंध में धारा 20 डी के तहत पालन किया गया आपत्तियों को प्रस्तुत करना और सुनना।

कानून में आदेश दिया गया है कि भूमि मालिकों को "सुनने के बाद" सक्षम प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। आदेश आपत्तियों की सुनवाई से पहले नहीं हो सकता है। यदि व्यक्तिगत सुनवाई से पहले कोई आदेश पारित किया जाता है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो यह क़ानून के विपरीत होगा, अमान्य होगा, और

एक पूर्व निर्धारित स्वभाव।

10. वर्तमान मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि

नल सुनवाई 30.07.2011 पर हुई, कोई निर्णय पारित नहीं किया गया

भूमि-मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए जक्शन, या तो आपत्तियों की अनुमति देते हैं या अस्वीकार करते हैं; और न ही उन्हें कोई संचार भेजा गया था।

सक्षम प्राधिकारी के शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है।

18.07.2018 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर (पी. जी. एस.)। 296-301 , आयतन

यहाँ इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है:

" 7. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्तिगत सुनवाई तय की गई थी

30.07.2011 से 18.08.2011 और 21.10.2011 से

03.01.2012 और द्वारा उठाई गई आपत्तियों के साथ

याचिकाकर्ताओं को, कुल 88 विरोधियों को अवसर दिया जाता है

उपर्युक्त समय अवधि में सुनवाई, और तारीख के रूप में वर्तमान याचिकाकर्ताओं को सुनवाई प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया था

30.07.2011 पर, व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की गई थी जिसमें

जिस प्रकार की आपत्तियाँ उठाई गई थीं आपत्ति आवेदन दिनांक 06.04.2011 और इसलिए

सुनवाई ज्ञापन दिनांक 30.07.2011 में आपत्ति दर्ज की गई थी और सुनवाई की कार्यवाही पूरी होने के बाद सभी

नोट करना इस बात का समर्थन करके तैयार किया गया था कि सभी आपत्तियाँ हैं अस्वीकार कर दिया गया और इसलिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

आगे के लिए समर्पित माल गलियारा निगम

प्रक्रिया। मुझे मूल फाइल का उत्पादन करने के लिए अनुमति चाहिए

वर्तमान मामले की सुनवाई का समय।

8. यह सबसे विनम्रता और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक

आर. टी. आई. के तहत दिनांकित 05.09.2013 के जवाब के संबंध में कथन आवेदन संबंधित है, मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि आवेदक नरशभाई भागूभाई बनाम।

भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

सुनवाई के लिए लिए गए निर्णय की प्रमाणित प्रति मांगी है

आक्षेपकर्ता को प्रदान किया गया, जिसमें दिनांकित 05.09.2013 का जवाब दिया गया है

जवाब देने वाले प्रतिवादी के कार्यालय से जवाब दिया गया था

यह कहते हुए कि "आपत्ति आवेदन का जवाब दिया गया है

धारा के प्रावधानों के तहत अधिसूचना के खिलाफ आपके द्वारा

20रेलवे संशोधन अधिनियम का ए पहले ही दिया जा चुका है

आप इस कार्यालय से (प्रति संलग्न है)। इसके अलावा, आवश्यक

उस ओर से सुनवाई भी आपको दी गई है। कोई आदेश नहीं आपत्ति आवेदन के संबंध में ऐसी सुनवाई के बाद पारित किया जाता है,

क्योंकि आपत्ति आवेदन के संबंध में जवाब पहले से ही है

आपको दिया गया है।

(जोर दिया गया)

यह बहुत स्पष्ट है कि आदेश के अभाव में

10.1 .

धारा 20 डी द्वारा विचार के अनुसार पारित किया जा रहा है

अधिनियम ने कहा, आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था विचाराधीन अधिग्रहण में सक्षम प्राधिकारी।

विशेष सिविल आवेदनों की सुनवाई के दौरान,

10.2 .

उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की कार्यालय की फाइलों को मंगाया।

मुख्य परियोजना प्रबंधक, समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे स्थापित किया गया है

नीचे दिया गया है:

" अंत में उचित विचार और ग्रहण करने के बाद

राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचे, लंबे जीवनकाल को देखें

स्थायी उपयोगिता और इसलिए सार्वजनिक उपयोगिता है

आपत्ति के लिए उनके आवेदन इस पर दायर किए गए थे अंत "।

प्राधिकरण को एक आदेश नहीं माना जा सकता है आपत्तियाँ।

11. धारा 20 डी एक अनिवार्य प्रावधान है जो

भूमि-मालिकों पर विरोधी और मूल्यवान अधिकार, प्रस्तावित पर आपत्ति करने के लिए

सेशन, इससे पहले कि उन्हें उनके अधिकार, शीर्षक और ब्याज से जबरन वंचित किया जाए

एक अनुचित कानून द्वारा भूमि।

9] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 डी के तहत आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए के समान है, भले ही आपत्तियों का दायरा अधिक सीमित हो।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत आपत्ति के अधिकार की प्रकृति पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत आपत्ति के अधिकार की प्रकृति पर समान रूप से लागू होते हैं।

रेलवे अधिनियम।

धारा 20 डी की उप-धारा (2) सक्षम प्राधिकारी को आदेश देती है

विरोध करने वालों को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देना।

सक्षम प्राधिकारी को सभी आपत्तियों को सुनने के बाद, और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, तो आपत्तियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित करने के लिए अनिवार्य किया जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए पर पारित किए गए कई निर्णय हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 20 डी (2) की व्याख्या के लिए प्रासंगिक हैं।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सुनवाई प्रभावी होनी चाहिए, न कि केवल औपचारिकता। सार्वजनिक उद्देश्य के संबंध में राय का निर्माण, और उसकी उपयुक्तता भी, प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए दिमाग के अनुप्रयोग से पहले होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए भूमि मालिकों को एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है। में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

संविधान के अनुच्छेद 300-ए में आपत्ति उठाने और दायर करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के समान माना गया है। 2.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन में। लिमिटेड वी. डेरियस शापुर चेनाई, 3 3 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

“ 6. यह विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 5-ए उस व्यक्ति के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है जिसकी भूमि मांगी जाती है।

1 भारत संघ बनाम। शिवराज (2014) 6 एस. सी. सी. 564। 2 आई. बी. आई. डी. 3 3 (2005) 7 एस. सी. सी 627।

नरशभाई भागूभाई बनाम। भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

प्राप्त करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 300-ए में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य "प्रतिष्ठित क्षेत्र" की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए और इसके लिए उचित मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

9. यह सामान्य बात है कि किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सुनवाई एक प्रभावी होनी चाहिए न कि केवल औपचारिकता। सार्वजनिक उद्देश्य और उसकी उपयुक्तता के संबंध में राय के गठन से पहले प्रासंगिक विषयों पर विचार करने के संबंध में दिमाग का उपयोग किया जाना चाहिए।

अप्रासंगिक कारकों और अस्वीकृति। राज्य को अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कानून में कोई गलत दिशा नहीं अपनानी चाहिए। यह भी विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 5-ए एक मूल्यवान महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है और संविधान के अनुच्छेद 300-ए में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसे एक मौलिक अधिकार के समान माना गया है।

(जोर दिया गया)

एन. पद्मम्मा बनाम। एस. रामकृष्ण रेड्डी, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया

" 21. यदि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है और

संवैधानिक अधिकार, उसी को इसके अलावा नहीं लिया जा सकता है

कानून के अनुसार। संविधान का अनुच्छेद 300-ए इसकी रक्षा करता है।

ऐसा अधिकार। अधिनियम के प्रावधान जो इस तरह के विनिवेश की मांग करते हैं

अधिकार, के अनुच्छेद 300-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

भारत के संविधान का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। "

(जोर दिया गया)

एन प्रकाश वी. उत्तर प्रदेश राज्य, 4 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 21. श्री शांति भूषण ने भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।

एक के निर्णय के लिए अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

दो-पंजाब राज्य के मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

वी. गुरदियाल सिंह [(1980) 2 एस. सी. सी. 471] जिसमें कृष्ण अय्यर,

जे. आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग के प्रश्न से निपटना

ख) 6 एस. सी. सी. 1.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 17 के तहत रिपोर्ट के पैरा 16 में कहा गया है कि वास्तविक तात्कालिकता को छोड़कर जहां जनहित सुनवाई करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय भी नहीं रोकता है, भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को अनुच्छेद 14 और 19 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 17 के तहत जांच नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, धारा 5-ए के तहत जांच केवल वैधानिक नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का स्वाद भी है, हालांकि संपत्ति का अधिकार अब नहीं है।

एक मौलिक अधिकार बना रहा, कम से कम अनुच्छेद 14, बनाम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5-ए के संबंध में अवलोकन उपयुक्त रहेगा। उक्त निर्णय को भारत संघ बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। कृष्ण लाल अरनेजा [(2004) 8 एससीसी 453] "।

(जोर दिया गया)

भूमि के मालिक/इच्छुक व्यक्ति को दिया गया सीमित अधिकार

11.1 .

आपत्तियाँ दायर करने के लिए, और इसके तहत व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जाए

धारा 20 डी को एक खाली औपचारिकता तक कम नहीं किया जा सकता है।

या सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल एक आंख धोना।

सक्षम प्राधिकारी विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध था

अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ, और एक

तर्कपूर्ण क्रम, जो मन के अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए

भूमि-मालिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर।

वर्तमान मामले में, एक पूर्ण

पारित करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा

द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर एक तर्कपूर्ण आदेश

अपीलार्थी।

वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद स्थिति है कि नहीं

11.2 .

कानून की दृष्टि में विचार के अनुसार आदेश पारित किया गया था

उठाई गई आपत्तियों को तय करने में सक्षम प्राधिकारी

अपीलार्थियों द्वारा।

अर्ध-न्यायिक कार्य का निर्वहन करने वाला एक सांविधिक प्राधिकरण

नियत समय के बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए कार्य की आवश्यकता होती है मन का अनुप्रयोग।

भाई भागुभाई बनाम। भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

लक्ष्मी देवी बनाम। बिहार राज्य, 5 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

यहाँः

" 9. धारा 5-ए का महत्व नहीं हो सकता है -

अत्यधिक जोर दिया। इसकी कल्पना प्राकृतिक रूप से की जाती है।

न्याय और में पुरुषत्व में परिपक्व हो गया है

ऑडी अल्टरम पार्टेम का अधिकतम अर्थात प्रत्येक व्यक्ति

किसी निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना होने का एक सार्थक अवसर दिया जाए

सुना है। इस अधिकार को एक पक्ष द्वारा नहीं लिया जा सकता है।

हवा, जैसा कि इतनी शक्तिशाली और पेलुसिडली में कहा गया है

नंदेश्वर प्रसाद बनाम। यू. पी. राज्य [एआईआर 1964

एससी 1217]। यह अधिकार इतना कठोर है कि

आदेश देता है कि वह व्यक्ति जिसने सुना और

माना जाता है कि केवल आपत्तियाँ ही उन्हें तय कर सकती हैं;

और उसका उत्तराधिकारी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है।

उनके पूर्ववर्ती। इसके अलावा, निर्णय पर आपत्तियाँ स्वयं में उपलब्ध होनी चाहिए

निहित, बोलने वाला और तर्कपूर्ण क्रम; कारण

बाद में इसमें जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह समान होगा। पुरानी शराब को नई बोतलों में डालना। हम कुछ नहीं कर सकते।

संघ के सावधानीपूर्वक अवलोकन की सराहना करने से बेहतर है

भारत का वी। शिव राज [(2014) 6 एससीसी 564: (2014)

3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 607], इन पर और साथ ही संज्ञानात्मक

विचार करें।

(जोर दिया गया)

रघबीर सिंह सहरावत बनाम। हरियाणा राज्य,

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

" 40. यद्यपि यह न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

उन आधारों की सूची बनाना जिनके आधार पर जमींदार कलेक्टर को ऐसा करने के लिए राजी कर सकता है

प्रस्तावित के खिलाफ सिफारिशें

कलेक्टर को उचित अवसर देना चाहिए आपत्ति करने वाले को सुनें और निष्पक्ष रूप से [2019] 10 एस. सी. आर. पर विचार करें।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उनकी याचिका। केवल इसके बाद, उसे सिफारिशें करनी चाहिए।

संक्षिप्त कारणों से समर्थित है कि क्यों

भूमि का विशेष टुकड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए

प्राप्त किया गया है और क्या याचिका आगे रखी गई है या नहीं

आक्षेपकर्ता द्वारा स्वीकृति योग्य है। दूसरे शब्दों में,

कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशें आवश्यक हैं

मन के वस्तुनिष्ठ अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करें

भूमि मालिकों और अन्य लोगों द्वारा दायर आपत्तियाँ इच्छुक व्यक्ति।

(जोर दिया गया)

उषा स्टड एंड एग्रीकल्चरल फ़ार्म्स (पी) लिमिटेड बनाम राज्य

हरियाणा, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि,

" उपरोक्त निर्णयों का अनुपात यह है कि

धारा 5-ए (2), जो वैधानिक का प्रतिनिधित्व करती है। ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम का अवतार,

आक्षेपकर्ता को एक बनाने का अवसर देता है

कलेक्टर को यह समझाने का प्रयास करें कि उनकी जमीन

निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है धारा 4 (1) के तहत जारी अधिसूचना में या

कि इसके लिए अन्य वैध कारण नहीं हैं

उसी को प्राप्त करें। वह खंड भी इसे बनाता है कलेक्टर के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है

उपयुक्त सरकार जिसमें वह शामिल है

आपत्तियों पर सिफारिशें, साथ में

उसके द्वारा आयोजित कार्यवाहियों का अभिलेख ताकि सरकार उचित निर्णय ले सकती है

आपत्तियों पर। धारा 6 (1) में प्रावधान है कि यदि -

उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो जाती है, इसके बाद

द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए

धारा 5-ए (2) के तहत कलेक्टर

निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। फिर एक घोषणा की जानी चाहिए। यह

अनिवार्य रूप से इसका तात्पर्य है कि राज्य सरकार है

रिपोर्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता है कलेक्टर और आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लें भाई भागूभाई बनाम।

भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

भूमि मालिकों और अन्य इच्छुक लोगों द्वारा दायर किया गया

लोग। तभी और तभी, एक घोषणा हो सकती है

धारा 6 (1) के तहत किया जाए।

(जोर दिया गया)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन में। लिमिटेड (ऊपर), यह

ऑर्ट का मानना था कि:

" 16. हालांकि, आपत्तियों पर विचार

भूमि के स्वामी द्वारा और की स्वीकृति

सरकार की सिफारिशें, यह तुच्छ है,

मन के उचित अनुप्रयोग से पहले होना चाहिए

सरकार का हिस्सा। जब भी कोई व्यक्ति

दुखी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं,

न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि क्या

न्यायिक समीक्षा के लिए एक या अधिक आधार मौजूद हैं, हो सकता है

अभिलेखों के लिए कॉल करें जिसके बाद ऐसे अभिलेखों को आवश्यक होना चाहिए

उत्पादन किया जाता है। में रिट याचिका दायर की गई थी

वर्ष 1989। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, उक्त रिट

याचिका की अनुमति दी गई। हालाँकि, यह न्यायालय,

उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया

और एक देने पर मामले को वापस भेज दिया

पक्षों को अतिरिक्त धन जुटाने का अवसर

दलीलें।

19. इसके अलावा, राज्य को न केवल भूमि के मालिक द्वारा दायर आपत्तियों पर बल्कि उस रिपोर्ट पर भी अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है जो

कलेक्टर द्वारा इसके लिए अन्य और आगे की पूछताछ करने पर प्रस्तुत किया गया और साथ ही

इस संबंध में उनके द्वारा की गई सिफारिशें। राज्य सरकार इस मामले में आगे जांच कर सकती है, अगर इसके लिए कोई मामला बनता है, तो अपने स्वयं के संतोष पर पहुंचने के लिए कि यह आवश्यक है। किसी नागरिक को संपत्ति के अधिकार से वंचित करना। यह उस स्थिति में है कि द्वारा अभिलेखों का उत्पादन

राज्य आवश्यक है।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

28. हालांकि कारणों का असाइनमेंट इसका हिस्सा है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, उनकी आवश्यकता को एक क़ानून द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या द्वारा हटाया जा सकता है

आवश्यक प्रभाव। एक घोषणा शामिल है धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना में

अधिनियम में कोई कारण होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसा

अधिसूचना को निर्णय से पहले होना चाहिए

उपयुक्त सरकार। जब कोई निर्णय होता है

मौका देने के बाद लेने की आवश्यकता है किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना जो नागरिक या

उसके कारण बुरे परिणाम, वही इसका मतलब एक प्रभावी सुनवाई होगी। "

(जोर दिया गया)

क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम। मसूद अहमद और, 8 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

अर्ध-न्यायिक आदेश लेकिन समय बीतने के साथ दोनों के बीच का अंतर धुंधला हो गया और

पतला हो गया और लगभग गायब हो गया

ए. के. क्राईपक बनाम में इस न्यायालय के निर्णय की ओर इशारा करें। भारत संघ [(1969) 2 एस. सी. सी. 262:

AIR 1970 SC 150]

47. उपरोक्त चर्चा का सारांश देते हुए, यह न्यायालय कहता है:

(क) भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी को पूर्वाग्रह से प्रभावित करते हैं।

(ख) एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए।

भाई भागुभाई बनाम। भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

(ग) कारणों को दर्ज करने पर जोर देना न्याय के व्यापक सिद्धांत को पूरा करने के लिए है।

न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए किया भी।

(घ) कारणों को दर्ज करना किसी भी संभावित मनमाने अभ्यास पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में भी काम करता है।

न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक

शक्ति।

(ई) कारण आश्वस्त करते हैं कि निर्णय निर्माता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी की उपेक्षा करके विवेक का प्रयोग किया गया है।

विचार करें।

(च) कारण लगभग इस प्रकार हो गए हैं

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक

न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहाँ तक कि प्रशासनिक निकाय।

उच्च न्यायालयों द्वारा समीक्षा। (ज) सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति

कानून और संवैधानिक शासन के लिए प्रतिबद्ध

शासन तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है

प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय की जीवनदायिनी है-इस सिद्धांत को उचित ठहराते हुए कि तर्क न्याय की आत्मा है।

(i) न्यायिक या यहां तक कि अर्ध-न्यायिक राय इन दिनों न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की तरह अलग हो सकती है। अधिकारी जो उन्हें वितरित करते हैं। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो है -

कारण से प्रदर्शित करें कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। यह है। वादियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण

न्याय वितरण प्रणाली। (जे) न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए तर्क पर जोर देना एक आवश्यकता है।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

(के) यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि क्या निर्णय लेने वाला व्यक्ति निर्णय के सिद्धांत के प्रति वफादार है।

पूर्ववर्ती या वृद्धिवाद के सिद्धांतों के लिए।

(1) निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का दिखावा या

" रबर-स्टाम्प के कारणों की बराबरी नहीं की जानी चाहिए

एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया। (एम) इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि पारदर्शिता न्यायिक दुरुपयोग पर प्रतिबंध की अनिवार्य शर्त है।

शक्तियाँ। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय निर्माताओं को त्रुटियों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी बनाती है। (न्यायिक कैंडोर की रक्षा में डेविड शापिरो देखें [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731-37]।

वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक था और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता था। देखें। रुइज़ तोरीजा बनाम। स्पेन [(1994) 19 ई. एच. आर. आर. 553] ई. एच. आर. आर., 562 पैरा 29 और अन्या बनाम। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

[2001 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 405 (सी. ए.)], जिसमें न्यायालय ने मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 6 का उल्लेख किया है, जिसके लिए आवश्यक है, "न्यायिक निर्णयों के लिए पर्याप्त और बुद्धिमान कारण दिए जाने चाहिए"।

(0) सभी सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में निर्णय भविष्य के लिए उदाहरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण देने की आवश्यकता सार है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

(जोर दिया गया)

एस. एच. बी. एच. ए. आई. भागूभाई वी. भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

फाइल टिप्पणियाँ और संचार की कमी

यह तय किया गया कानून है कि एक वैध आदेश एक तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए, जिसे पक्षों को विधिवत सूचित किया जाता है। एक आंतरिक कार्यालय फ़ाइल में निहित फ़ाइल नोटिंग, या

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्र सरकार, कानून की नजर में एक वैध आदेश का गठन नहीं करेगी।

वर्तमान मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आपत्तियों को खारिज करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

30.07.2011 पर निष्कर्ष निकाला गया था।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सक्षम प्राधिकारी ने कार्यवाही के किसी भी चरण में अपीलार्थियों को फाइल की सामग्री के बारे में सूचित नहीं किया। ने कहा कि

फाइल नोटिंग तब सामने आई जब मामला लंबित था

उच्च न्यायालय के समक्ष, और मूल फाइलें थीं

उच्च न्यायालय, फाइलों के अवलोकन पर, केवल इस आधार पर आपत्तियों की अस्वीकृति को दर्ज करते हुए फाइल के सामने आया कि मामला एक सार्वजनिक उपयोगिता के लिए अवसंरचना परियोजना।

बचित्तर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, ए

संविधान पीठ ने कहा कि केवल कुछ लिखना

फाइल पर आदेश की राशि नहीं होती है। सरकार के निर्णय के बराबर किसी फाइल-नोटिंग के लिए, उस व्यक्ति को उस आदेश से बाध्य होने से पहले, इस तरह से प्रभावित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए। जब तक आदेश नहीं है

इससे प्रभावित व्यक्ति को सूचित किया जाता है, यह नहीं हो सकता है

अस्थायी होने से अधिक कुछ भी माना जाता है

चरित्र।

इसी तरह, शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम। भारत संघ, 0 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकारी फाइलों में दर्ज टिप्पणियाँ, विभिन्न स्तरों पर सरकार के अधिकारियों और यहां तक कि मंत्रियों द्वारा भी, सरकार का निर्णय नहीं बनते हैं, जब तक कि उन्हें पवित्र नहीं किया जाता है और उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है।

राष्ट्रपति के नाम से आदेश जारी करके या

5 . 705 .

मेरी अदालत की रिपोर्ट

न ही, जैसा भी मामला हो, और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है।

सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम. डी. डी. ए., 1 1 इस न्यायालय ने कहा कि:

" 14. यह कहना तुच्छ है कि एक में टिप्पणियाँ

विभागीय फाइल के पास एक प्रभावी आदेश होने के लिए कानून की मंजूरी नहीं है। एक अधिकारी द्वारा टिप्पणी करना उस विषय पर उसके दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। यह एक अधिकारी की राय से ज्यादा कुछ नहीं है।

आंतरिक उपयोग और दूसरे पर विचार विभाग के अधिकारी और अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के लाभ के लिए। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि आंतरिक संकेतन बाहर के लिए नहीं हैं।

एक्सपोज़र। फाइल में टिप्पणियाँ एक में समाप्त होती हैं

निष्पादन योग्य आदेश, के अधिकारों को प्रभावित करता है

पक्षकार, केवल तभी जब वे अंतिम निर्णय पर पहुँचते हैं

विभाग में अधिकार बनाते हुए, उसे मिल जाता है अनुमोदन और अंतिम आदेश के बारे में सूचित किया जाता है

संबंधित व्यक्ति।

16. इसी तरह के प्रभाव के लिए इस के अवलोकन हैं

लक्ष्मीनारायण आर. भट्टदेव में न्यायालय। की स्थिति

कहा कि एक के आदेश के तहत बनाया गया अधिकार वैधानिक प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए

एक प्रवर्तनीय प्रदान करने के लिए संबंधित व्यक्ति

सही "।

(जोर दिया गया)

उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया विरोधाभासी रुख

कानून का आदेश यह है कि

जेक्शंस को सक्षम द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है

"व्यक्तिगत सुनवाई के बाद" प्राधिकरण प्रदान किया जाता है।

उत्तरदाताओं ने दिनांकित एक शपथ पत्र दाखिल किया था

7.07.2018 उच्च न्यायालय के समक्ष जिसमें यह कहा गया था कि एस. एच. बी. एच. ए. आई. भागूभाई बनाम।

भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

कि 15.07.2011 दिनांकित पत्र के माध्यम से दिया गया उत्तर क्या करता है

निर्णय/आदेश/पूर्व-निर्धारण का संकेत नहीं देता है सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी ने

विरोध करने वालों को सभी सामग्री के साथ उपस्थित रहने के लिए सूचित किया व्यक्तिगत सुनवाई के समय दस्तावेज़, की तारीख

जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

इस न्यायालय के समक्ष दलीलों के समय, यह था

अतिरिक्त सॉलिसिटर द्वारा प्रतिवाद करने की मांग की गई

भारत संघ के लिए जनरल कि पत्र दिनांकित

15.07.2011 धारा 20 डी (2) के तहत पारित आदेश था

अधिनियम से।

हम पाते हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा पहले लिया गया रुख

उच्च न्यायालय और यह न्यायालय पूरी तरह से विरोधाभासी है,

और स्वीकृति की सराहना नहीं करता है।

किसी भी स्थिति में, धारा 20 डी (2) के तहत आदेश नहीं हो सकता है

व्यक्तिगत सुनवाई से पहले पारित। का आदेश

कानून यह है कि आदेश अनुदान के "बाद" पारित किया जाना चाहिए

व्यक्तिगत सुनवाई, और आगे की जांच के बाद

सक्षम प्राधिकारी द्वारा।

व्यक्तिगत सुनवाई देने की पूरी प्रक्रिया

एक खाली औपचारिकता और एक प्रहसन तक कम हो जाएगा

अभ्यास, यदि आपत्तियों पर आदेश अनुदान से पहले है

व्यक्तिगत सुनवाई। यह स्पष्ट रूप से इसके विपरीत होगा

अधिनियम की धारा 20 डी (2) के प्रावधान।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक क़ानून के लिए प्रावधान है

उस तरीके से किया गया और किसी अन्य तरीके से नहीं। 1 2 12 द एक अनुचित विधान के प्रावधान, जो

अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करता है। उसकी सहमति के बिना, सख्ती से समझा जाना चाहिए। 1 3 द

राजा सम्राट, (1875) एल. आर. 1 सीएच. डी. 426 के बाद राव शिव बहादुर विंध्य प्रदेश, ए. आई. आर. 1954 एससी 322; यू. पी. राज्य बनाम सिंघारा सिंह, 3; जे एंड के हाउसिंग बोर्ड बनाम। कुंवर संजय कृष्ण कौल, (2011) 10 आर पाल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2007) 5 एस. सी. सी. 85।

i कछार बनाम। गुजरात राज्य, 1995 अनुपूरक (1) एस. सी. सी. 96; खुब भी देखें।

राजस्थान, आकाशवाणी 1967 एससी 1074;

ब्रिक्स (पी) लिमिटेड, (2004) 1 एस. सी. सी. 597।

रेलवे अधिनियम, 1989 एक अनुचित विधान होने के कारण,

इसके प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। 1.

11.6 .

सक्षम प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण होने के नाते, अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह है

भूमि-स्वामी को उपलब्ध कराया गया एकमात्र अवसर, केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, आगे कोई विचार नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर कार्य करता है

सक्षम प्राधिकारी, और इसके तहत घोषणा जारी करता है

उक्त अधिनियम की धारा 20 ई।

यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के विपरीत है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 में केंद्र की संतुष्टि की आवश्यकता है

घोषणा जारी होने से पहले सरकार।

धारा 20 डी (2) के तहत पारित आदेश के अभाव में,

11.7 .

अधिग्रहण में उठाए गए बाद के कदम

परिणामस्वरूप अमान्य हो जाता है।

12. जिस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना बाकी है, वह यह है कि इसकी अनुपस्थिति में

धारा 20 डी के तहत आपत्तियों पर पारित आदेश के परिणामी कदमों को अमान्य कर दिया जाना चाहिए।

हम पाते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है

कुल 131 कि. मी. भूमि में से लगभग 6 कि. मी. भूमि के विस्तार के संबंध में अपीलकर्ता। 125 किलोमीटर भूमि के शेष हिस्से का अधिग्रहण कर लिया गया है और यह सरकार के पास निहित है।

उत्तरदाताओं ने शपथ पत्र पर कहा है कि खंड के अधिकांश हिस्सों में निर्माण पूर्व गतिविधि और मिट्टी का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, अधिकांश पुल या तो प्रगति पर हैं।

या पहले ही पूरा हो चुका है।

सभी वर्तमान में अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाला वरिष्ठ वकील

दीवानी अपीलों ने अपने मुवक्किलों से निर्देश लेने के बाद कहा कि चूंकि भूमि का अधिग्रहण एक सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना के लिए किया जा रहा था, इसलिए उनके मुवक्किलों को संतुष्ट किया जाएगा यदि उन्हें मुआवजा दिया जाता है।

भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान दर। 14 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड (2007) 8 एस. सी. सी. 705।

नरशभाई भागूभाई बनाम। भारत संघ [इंदु मल्होत्रा, जे.]

मान लीजिए, अपीलकर्ताओं द्वारा कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया है

अधिग्रहण कार्यवाही में प्रत्यर्थियों के विरुद्ध। यदि अधिसूचना जारी की जाती है तो रेलवे परियोजना का व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

धारा 20ए के तहत रद्द कर दिया जाता है। अधिग्रहण का सार्वजनिक उद्देश्य एक विशेष रेलवे परियोजना का निर्माण और संचालन है। गुजरात के सूरत जिले में पश्चिमी समर्पित माल गलियारा।

इन असाधारण परिस्थितियों में, हम इसे संतुलन के लिए उपयुक्त समझते हैं

एक ओर अपीलार्थियों का अधिकार और दूसरी ओर व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य

दूसरी ओर, अपीलार्थियों को उस अधिकार के लिए क्षतिपूर्ति देकर जिससे वे वंचित किए गए हैं। न्याय के हित हमें इस कार्रवाई को अपनाने के लिए राजी करते हैं।

सावित्री देवी बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य।, 1 5 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

" इस प्रकार, हमारे पास एक परिदृश्य है जहाँ, एक पर

अधिनियम की धारा 17 और अधिकार का वितरण अधिनियम की धारा 5ए के तहत आपत्ति दर्ज करना है

अवैध पाया गया। दूसरी ओर, हमारे पास एक

ऐसी स्थिति जहाँ चुनौती देने में देरी के कारण

भूमि मालिकों द्वारा ये अधिग्रहण,

इन गाँवों में विकास हुआ है और

अधिकांश मामलों में, तीसरे पक्ष के अधिकार दिए गए हैं बनाया गया है। इस स्थिति का सामना करते हुए, उच्च न्यायालय ने

इस निर्णय के पीछे की आत्मा के अनुसार चलना

बोंडू रामास्वामी और अन्य में न्यायालय (ऊपर)

न्यायालय ने जमीनी वास्तविकताओं पर विचार किया बात और अधिक व्यावहारिक पर पहुंचे और

पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करके व्यवहार्य समाधान

मुआवजे के रूप में भूमि मालिक साथ ही विकसित अबादी भूमि का आबंटन

उच्च दर अर्थात प्रत्येक की अधिग्रहित भूमि का 10 प्रतिशत भूमि मालिकों की पात्रता के विरुद्ध और

नोएडा के 5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की सीमा तक नीति

और क्रमशः ग्रेटर नोएडा भूमि "।

(जोर दिया गया)

15 (2015) 7 एससीसी 21.

9] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों को मुआवजा देकर राहत को ढाला जा रहा है, जिसका आकलन धारा 20 जी के तहत किया जाएगा।

भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उक्त अधिनियम। सक्षम प्राधिकारी को भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजे की राशि की गणना करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे अधिनियम की धारा 20 जी (2) के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। 13. शेष 125 किलोमीटर भूमि के संबंध में, भूमि-मालिक दिए गए धन से संतुष्ट थे, और उन्होंने नहीं किया है।

इस अदालत का रुख किया।

इन परिस्थितियों में, हमारे निष्कर्ष के बावजूद कि

प्रत्यर्थियों ने अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है, हमें नहीं लगता कि यह पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को दरकिनार करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

वर्तमान मामले में दी गई राहत यहाँ अपीलार्थियों तक ही सीमित है, और अन्य भूमि-मालिकों के लिए एक मिसाल नहीं बनेगी जो

इस न्यायालय के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी है।

सिविल अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है। सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

तदनुसार आदेश दिया।

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन